मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य कुटुम्ब पेंशन नियम, 2000

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र. 2471-एक (2) 126-अड़तालीस/2000, दिनांक 20.11.2000 में प्रकाशित

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य कुटुम्ब पेंशन नियम 2000 है.

(2) ये नियम, 1 दिसंबर, 1998 से प्रवत्त हुए समझे जाएंगे.

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यता अपेक्षित न हो, -

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) ;

(ख) 'प्ररूप' से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(ग) 'प्रमुख सचिव' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विधान सभा का प्रमुख सचिव तथा उसमें सम्मिलित है विधान सभा का कोई ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत किया जाए. '.

3. कुटुम्ब पेंशन प्रदान करना.- प्रत्येक व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा-6-ख के अधीन पेंशन का हकदार हो, प्रमुख सचिव को, इन नियमों से संलग्न प्ररूप-क में आवेदन करेगा. आवेदन के साथ किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित नवीनतम फोटोग्राफ की तीन प्रतियां तथा तीन आदर्श हस्ताक्षर (स्पेसीमेन सिग्नेचर) संलग्न किए जाएंगे.

4. पेंशन की मंजूरी.- (1) प्रमुख सचिव, आवेदन की अंतर्वस्तुओं को सत्यापित करेगा या सत्यापित करवायेगा और उसका यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक, अधिनियम की धारा 6-ख के अधीन पेंशन के लिए हकदार है, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करते हुए प्ररूप-ग में पेंशन मंजूर करने का आदेश जारी करेगा, -

(क) अधिनियम की धारा-ख के अधीन पेंशन के लिए हकदार व्यक्ति का नाम ;

(ख) पेंशन की रकम ;

(ग) वह तारीख जिससे, ऐसा व्यक्ति पेंशन के लिए हकदार होगा ;

(घ) वह खज़ाना, जिसके माध्यम से भुगतान किया जाएगा.

2. पेंशन मंजूर करने के आदेश की एक प्रति महालेखाकार, मध्यप्रदेश को अग्रेषित की जाएगी.

5. पेंशन भुगतान आदेश.- (1) महालेखाकार-एक, मध्यप्रदेश, मंजूरी आदेश प्राप्त होने पर, उस खजाने के, जिसके माध्यम से पेंशन संवितरित की जाना हो, खजाना अधिकारी को प्ररूप 'ख' में पेंशन भुगतान आदेश, आवेदक की सूचना के अधीन जारी करेगा.

(2) खज़ाने द्वारा पेंशन का भुगतान, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्ररूप 'घ' में जारी किए गए प्रमाण पत्र को पेश करने के अध्यधीन रहते हुए किया जाएगा.

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए 'सक्षम अधिकारी' कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार का कोई प्रथम श्रेणी अधिकारी या संसद अथवा मध्यप्रदेश विधान सभा का कोई आसीन सदस्य या मध्यप्रदेश ट्रेजरी कोड जिल्द - एक के नियम 363 में निर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी होगा.

(3) अधिनियम की धारा 6-ख के अधीन पेंशन प्राप्त करने के लिए पेंशनभोगी को निरर्हित करने वाली किसी घटना के घटित होने पर पेंशनभोगी, प्रमुख सचिव महालेखाकार, जिसने पेंशन भुगतान आदेश जारी किया हो तथा संबंधित खजाना अधिकारी को घटना की सूचना तत्काल देगा.

'प्ररूप 'क'

(नियम 3 देखिए)

कुटुम्ब पेंशन के लिए आवेदन

(मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 की धारा 6-ख देखिए)

प्रेषक :

श्री/श्रीमती/कुमारी ....

प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
भोपाल.

विषय : मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य, वेतन भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) के अधीन कुटुंब पेंशन की मंज़ूरी।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निवेदन है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... जिन्होंने तारीख .... से .... तक मध्यप्रदेश विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र धारा 6-ख के अधीन कृपया मुझे कुटुम्ब पेंशन मंजूर करने की कार्रवाई की जाए तथा मैं कुटुम्ब पेंशन .... स्थित सरकारी खजाने से आहरित करना चाहता/चाहती हूँ।

2. मैं, प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट/केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी/संसद या मध्यप्रदेश विधान सभा के किसी आसीन सदस्य द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न करता/करती हूँ :-

(एक) अधोहस्ताक्षरी के तीन नमूना हस्ताक्षर.

(दो) पासपोर्ट आकार के नवीनतम फोटो की तीन प्रतियां.

(तीन) मृत्यु प्रमाण-पत्र.

(चार) अन्य वारिसों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र.

(पांच) नातेदारी प्रमाण-पत्र.

3.(क) मेरा वर्तमान पता .... है।

(ख) मेरा स्थाई पता .... है।

4. मैं, एतद् द्वारा, यह घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरी सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास से सत्य है।

स्थान : ....   भवदीय

तारीख : ....

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

लेखा शाखा

क्र. .... वि.स./सदस्य लेखा/पेंशन,   भोपाल, तारीख ....

कार्यालय लेखा अधिकारी (पी.आर. -1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्यप्रदेश लेखा भवन, ग्वालियर को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपसचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

'प्ररूप 'ख'

[नियम 5 (1) देखिए]

कार्यालय महालेखाकार-1, मध्यप्रदेश

क्र................ तारीख ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... ने मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में .... से .... तक सेवा की थी और मृत्यु हो जाने के कारण ऊपर वर्णित कुटुम्ब पेंशन का भुगतान रूपये .... प्रतिमास दिनांक .... से उसके वारिस श्री/श्रीमती/कुमारी ....

....

लेखा अधिकारी

'प्ररूप 'ग'

(नियम 4 देखिए)

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

क्र.........वि.सं./सदस्य लेखा/पेंशन, भोपाल, तारीख ....

श्री/श्रीमती/कुमारी .... को तारीख .... से रूपये.............................. केवल) प्रति मास कुटुम्ब पेंशन मंजूर की जाती है. पेंशन .... खजाने से देय होगी.

कार्यालय लेखा अधिकारी (पी.आर. -1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, ग्वालियर को अग्रेषित.

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश विधान सभा."

'प्ररूप 'घ'

[(नियम 5 (2) देखिए]

प्रमाण-पत्र

क्र. .... वि.स./सदस्य लेखा/पेंशन, भोपाल, तारीख ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी....................................... श्री/श्रीमती/ कुमारी .... (विधान सभा का पूर्व सदस्य) के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री/माता/पिता हैं,

तहसीलदार/नायब तहसीलदार

तारीख .... तहसील ....

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

बादल के. दास, प्रमुख सचिव